



Neutral Citation No. - 2026:AHC:170435

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

**धारा 482 बीएनएसएस के अंतर्गत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या-
7706/2026**

पंकज

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता	: सूर्य प्रताप सिंह परमार, वंदना सिंह परमार
विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता	: जी.ए.

न्यायालय संख्या- 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

- 1- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।
- 2- वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 0028 वर्ष 2026, बी.एन.एस., 2023 की धारा 318(4), 338, 336(3), 336(4), 340(1), 340(2), 352, 351(2), थाना-कोतवाली तिर्वा, जनपद-कन्नौज, में इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त उल्लिखित प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को झूठा फंसाया गया है। आवेदक के विरुद्ध आरोप यह है कि उसने सूचनाकर्ता को दिल्ली विकास प्राधिकरण में नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया और तत्पश्चात् उक्त उद्देश्य के लिए 15 लाख रुपये की मांग की। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार आरोप यह है कि 70,000/- रुपये आवेदक के खाते में तथा 8,87,000/- रुपये सह-अभियुक्त अर्जुन सिंह के खाते में जमा किए गए थे। यह कहा गया है कि सह-अभियुक्त अर्जुन सिंह ने नियुक्ति पत्र एवं अन्य दस्तावेज दिए थे, जो कूटरचित पाए गए। आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक ने सूचनाकर्ता से धनराशि उधार ली थी, जिसे वापस भी कर दिया गया है। उल्लिखित 70,000/- रुपये की राशि गलत है और वास्तव में आवेदक को PhonePe के माध्यम से केवल 64,100/- रुपये प्राप्त हुए थे। उक्त राशि भी उसी माध्यम से वापस कर दी गई है। आवेदक का कहना है कि उसका कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है।

4- विद्वान ए.जी.ए. ने प्रार्थना का विरोध किया तथा तर्क दिया कि आवेदक मुख्य अभियुक्त है। उसने सूचनाकर्ता को दिल्ली विकास प्राधिकरण में नौकरी दिलाने का झूठा आश्वासन देकर बहकाया और तत्पश्चात् अपने तथा अर्जुन सिंह के खाते में धनराशि स्थानांतरित कराई। तथापि, विद्वान ए.जी.ए. आवेदक के किसी आपराधिक पूर्ववृत्त के दर्ज होने के तथ्य से विवाद नहीं कर सके।

5- मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है।

6- इस न्यायालय ने आवेदक की ओर से प्रस्तुत प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त किए जाने हेतु दाखिल आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 4985 वर्ष 2026 को निरस्त करते समय निम्नवत् टिप्पणी की थी:-

“ये विवादित बचाव हैं, जिन पर वर्तमान रिट याचिका में, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट को चुनौती देती है, हमारे द्वारा विचार नहीं किया जा सकता। अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा सरकारी रोजगार प्रदान करने के लिए आम जनता के सदस्यों से धनराशि लेना एक संकट बन गया है। इसमें कोई संदेह

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



नहीं कि यह भी उतना ही बड़ा संकट है कि आम जनता भी धनराशि देने के लिए तैयार रहती है और वस्तुतः स्वयं अपराध में सहभागी बन जाती है।”

7- रिट याचिका को निरस्त करते समय इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ वर्तमान प्रकरण पर विचार करने के लिए अत्यंत प्रासंगिक हैं। आवेदक के विरुद्ध इस आरोप में अभियोजन चलाया जा रहा है कि उसने सूचनाकर्ता को दिल्ली विकास प्राधिकरण में नौकरी दिलाने का आश्वासन देकर उसके साथ धोखाधड़ी की। धनराशि का भुगतान करके कोई सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं की जा सकती। आवेदक की आयु लगभग अठारह वर्ष का एक युवा व्यक्ति बताया गया है। सूचनाकर्ता ने यह स्वीकार किया है कि उसने बेईमानीपूर्ण साधनों से धनराशि का भुगतान करके दिल्ली विकास प्राधिकरण में नौकरी प्राप्त करने का प्रयास किया था।

8- प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना उचित समझता हूँ।

9- उपर्युक्त के दृष्टिगत, आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

10- आवेदक-पंकज की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उपर्युक्त मुकदमा अपराध में तत्काल अग्रिम जमानत पर इस शर्त पर रिहा किया जाएगा कि वह संबंधित थाने के थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानत प्रस्तुत करे, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

- i- आवेदक जब भी अपेक्षित हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;
- ii- आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो;
- iii- आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



iv- आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे भयभीत नहीं करेगा।

11- उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

12- यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियाँ केवल वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के निर्णय के प्रयोजन तक सीमित हैं और इन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

13 अगस्त, 2026

ए. पाण्डेय

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”